



2026:AHC:25079

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1524, वर्ष 2026

डॉ. मोहम्मद मुस्तफा

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता

: माया पति पाण्डेय, निहारिका सिंह

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती निहारिका सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी नियुक्ति 21.06.1988 को तदर्थ आधार पर चिकित्सा अधिकारी (आयुष) के पद पर हुई थी और उसकी सेवाओं को वर्ष 1991 में नियमित कर दिया गया था तथा वह 31.08.2014 को सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह शासनादेश दिनांक 05.11.2014 के अनुसार तृतीय ए.सी.पी. का पात्र है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का न्यायनिर्णयन प्रथम दृष्टया प्रथम प्रतिवादी, अपर मुख्य सचिव, आयुष स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. मैंने अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।
5. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता 20.01.2026 तक प्रथम प्रतिवादी, अपर मुख्य सचिव, आयुष स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। तत्पश्चात, प्रथम प्रतिवादी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऋषिभाई जगदीशभाई पाठक बनाम भावनगर नगर निगम : जे.टी. 2022 (5) एस.सी. 470 में प्रतिपादित विधि के आलोक में पात्रता के साथ-साथ विलंब के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

4 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"